कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.12.06 को आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका/पारा शिक्षक के चयन से संबंधित ग्राम प्रधानों व कोषाध्यक्षों द्वारा आम सभा के द्वारा किया गया है। उक्त तिथि को कतिपय स्थानो पर चयन में विवाद तथा अनियमितता की शिकायते प्राप्त हुई है।

उक्त तिथि को विभिन्न कारणों से यदि ग्राम सभा में नियमानुकूल चयन सम्पन्न नहीं किया गया हो, तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर लें।

पुनः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.12.06 को संबंधित ग्राम प्रधानों/कोषाध्यक्षों/ग्राम शिक्षा समिति को आम सभा के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका व पारा शिक्षक का ग्राम सभा में ही नियमानुसार चयन करवाकर सभी सूची दिनांक 27.12.06 को अपने प्रखंड़ कार्यालय अनुमोदन में समर्पित करने हेतु निदेश दें, तत्पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय हेतु ग्राम सभा को ही शक्ति प्रदत्त है। अतः अंततोगत्वा सर्वसम्मति/बहुमत से ग्राम सभा को ही निर्णय लेना होगा। साथ ही यदि किसी ग्राम में ग्राम प्रधान या कोषाध्यक्ष का चयन लंबित हो या नियमानुसार चयन में गंभीर विवाद हो, वहां पर ग्राम प्रधान/कोषाध्यक्ष का मनोयन/चयन के उपरांत ही सेविका/सहायिका/पारा शिक्षक चयन हेतु अनुशंसा को मान्यता दी जायेगी।

किसी भी ग्राम सभा में पदाधिकारी/पर्यवेक्षक की प्रतीक्षा किये बिना ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति/बहुमत से नियमानुसार निर्णय लेना होगा। संबंधित पदाधिकारी दिनांक 30.12.06 को जिला कार्यालय में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूची समर्पित करेंगे।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।